Sl. No.	Name of the High Court	Number of cases pending
7.	Gujarat	122,966
8.	Himachal Pradesh	13,352
9.	Jammu & Kashmir	98,645
10.	Karnataka	135,389
11.	Kerala	250,261
12.	Madhya Praesh	80,848
13.	Madras	326,619
14.	Orissa	84,897
15.	Patna	84,666
16.	Punjab & Haryana	170,671
17.	Rajasthan	98,416
18.	Sikkim	95
	TOTAL	3174,101

*As on 31.12.96

Proposal to set-up a De-limitation Commission

703. SHRI K. M. SAIFULLAH: Will the Minister of LAW AND JUSTICE be pleased to state:

(a) whether there is proposal to set up a De-limitation Commission;

(b) if so, the schedule for setting up a De-limitation Commission;

(c) the procedural problems in establishing a De-limitation Commission; and

(d) if so, the full details thereof?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI M. THAMBI DURAI): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) and (d) As per existing provisions of the Constitution, fresh delimitation can be taken only after the publication of figures of the first census taken after the year 2000. In the meeting of leaders of various political parties held on 22nd May 1998, it was felt that as the year 2000 is close by, fresh delimitation may be taken as per existing provisions of the Constitution in this regard.

Establishment of a permanent bench of Gujarat High Court

704. SHRIMATI URMILABEN CHIMANBHAI PATEL: Will the Minister of LAW AND JUSTICE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a demand of the people of Gujarat for establishment of a permanent bench of Gujarat High Court at Surat or Rajkot is pending with the Central Government;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether the demand is under active consideration of Government;

(d) if so, the details thereof; and

(e) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI M. THAMBI DURAI): (a) to (e) Representations have been received from the Bar Associations etc. from time to time, for establishment of Benches of Gujarat High Court at Rajkot, Surat, Vadodara, Kutch and Bhavnagar. However, no proposal has been received from the Government of Gujarat, in consultation with the Chief Justice of the Gujarat, High Court in this regard. Necessary action in the matter can be taken by the Central Government only on receipt of such a proposal.

निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या में विषमता

705. **श्री शिव चरण सिंह:**
श्री गोविन्दराम मिरी:

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि 1998 के पिछले लोकसभा चुनावों में कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या 20 लाख से अधिक थी जबकि कुछ अन्य निर्वाचन क्षेत्रों में यह संख्या एक लाख से भी कम थी;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्तमान सरकार द्वारा इस विषमता को दूर करने के लिए कुछ कदम उठाए गये/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री एम० तम्बी दुरई): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में जनसंख्या की असमान वृद्धि से कारित असंतुलन को ठीक करने की दृष्टि से उनको आंबटित स्थानों को परिवर्तित किए बिना 1991 की जनगणना के आधार पर संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की विद्यमान सीमा को पुनः समायोजित करने के एक प्रस्ताव पर, सरकार द्वारा विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ 22 मई, 1990 को हुई बैठक में विचार-विमर्श किया गया था। तथापि, राजनीतिक दलों ने यह महसूस किया कि विद्यमान सांविधानिक उपबंधों के अनुसार वर्ष 2000 के पश्चात् प्रथम जनगणना के आंकड़ों के प्रकाशन के पश्चात् नया परिसीमन आज्ञापक हो जाएगा तथा वर्ष 2000 निकट ही है अतः विद्यमान सांविधानिक उपबंधों के अनुसार नया परिसीमन किया जा सकता है।

उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के स्थानांतरण संबंधी नीति

706. **श्री ओंकार सिंह लखावत:** क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अन्तर्राज्यीय स्थानांतरण संबंधी नीति की समीक्षा की जा रही है;

(ख) 1990 से 1997 तक की अवधि के दौरान एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित और फिर वापिस अपने गृह राज्य में स्थानांतरित न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है; और

(ग) अपनी तैनाती अपने गृह राज्यों में कराने के लिए उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों से कितने आवेदन लंबित हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री एम० तम्बी दुरई): सरकार ने विधि आयोग द्वारा उसकी 80वीं रिपोर्ट की इन सिफारिशों को नीति के रूप में स्वीकार कर लिया था कि एक ऐसा कन्वेंशन होना चाहिए जिसके अनुसार प्रत्येक उच्च-न्यायालय में एक-तिहाई न्यायाधीश किसी अन्य राज्य से होने चाहिए। सरकार ने विनिश्चय किया था कि इसे या तो राज्य के बाहर से आरंभिक नियुक्तियां करके या स्थानांतरण करके कार्यान्वित किया जा सकता है। इस नीति के अनुसरण में, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और मुख्य न्यायमूर्तियों के स्थानांतरण/नियुक्तियां, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की सिफारिश पर की जा रही हैं।

इस समय उपर्युक्त नीति में कोई परिवर्तन विवक्षित नहीं है।

(ख) मुख्य न्यायमूर्तियों/न्यायाधीशों के स्थानांतरण निम्नलिखित संख्या में एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च-न्यायालय में किए गए थे:

वर्ष	उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों/न्यायाधीशों के स्थानांतरणों की संख्या
1990	5
1991	8
1992	1
1993	6
1994	144
1995	12
1996	24
1997	42

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव भारत सरकार के पास लंबित नहीं है।

Cargo Handling of Visakhapatnam Port

707. DR. Y. LAKSHMI PRASAD: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) the cargo handled by the Visakhapatnam Port Trust in 1997-98 as against the target set up;

(b) the berth occupancy of the port and the profit earned during the said period; and

(c) further steps proposed to increase the activities of the Port?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (DR. DEBENDRA PRADHAN): (a) The Port handled a traffic of 36.01 Million Tonnes as against the target of 35.6 Million Tones during 1997-98.

(b) The overall average berth occupancy was 90% during 1997-98 and the Port